

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद  
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती बिन्दू बाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 111/2025

किस्म :- प्रार्थना-पत्र

दायर दिनांक : 11.07.2025

निर्णय दिनांक : 30.10.2025

—:अनवान:—

1. घीसुलाल पुत्र छोगालाल जाति जाट निवासी काबरा तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
2. बदाम बाई पत्नि घीसुलाल जाति जाट निवासी काबरा तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द

— प्रार्थीगण

बनाम

1. किशनलाल पुत्र रामलाल जाति जाट
2. गणेश दत्तक पुत्र लहरू जाति जाट
3. गणेशलाल पुत्र मोहनलाल जाति जाट
4. देवीलाल पुत्र गंगाराम जाति जाट
5. नाना पुत्र भुरा जाति जाट
6. पुरणमल पुत्र भेरूलाल जाति जाट
7. बाली पुत्र मोहनलाल जाति जाट
8. माधुलाल पुत्र गंगाराम जाति जाट
9. रेखा पुत्री भेरूलाल जाति जाट
10. रामचन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति जाट
11. शंकर पुत्र भुरा जाति जाट
12. सुरेशचन्द्र पुत्र भेरूलाल जाति जाट
13. जानीबाई पत्नि सम्पतलाल जाति जाट
14. दिनेश पुत्र सम्पतलाल जाति जाट
15. मोहनी पत्नि बालु जाति जाट
16. लाली पुत्री चान्दी जाति जाट
17. शंकरलाल पुत्र बालु जाति जाट
18. सुशीला पुत्री चान्दी जाति जाट
19. पनालाल पुत्र छोगालाल जाति जाट

- सभी निवासीयान काबरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद  
20. सभी निवासीयान पिपली डोडीयान तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

.....विपक्षीगण



५

वास्ते,

तहसीलदार रेलमगरा

जो कि मुल ही हुक्मनामा आपके पास भेजकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी की खसरा संख्या 1182 रकबा 0.8337<sup>३</sup> खसरा संख्या 1181 रकबा 0.4613<sup>६</sup> खसरा संख्या 403 रकबा 0.0890<sup>३</sup> भूमि ग्राम कावरा पटवार हल्का काबरा तहसील रेलमगरा आप मौके पर जाकर उभयापक्षकारन की उपस्थिति में यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो एवं मौके पर निर्माण नहीं हो तो राजस्व रेकार्ड खाता एवं नक्शा ट्रेस अनुसार विधिवत रूप से नपती कर पत्थरगढ़ी के वक्त किसी के कब्जे में दखल नहीं करते हुये किसी प्रकार का कब्जा सूपुर्द नहीं किया जावे । फिस पत्थरगढ़ी 1500/- रूपये अक्षरे. एक हजार पांच सौ रूपये प्रार्थी से वसुल कर राज कोष मे जमा करावे। बाद तामिल हुक्मनामा फसल कटाई के पश्चात् पत्थरगढ़ी पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह हुक्मानामा आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



6  
(बिन्दू बाला राजावत RAS)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा  
राजसमंद